COURT FEE भारत INDIA ५० पैसे 50 PAISE

दो रुपये RUPEES INDIA

R. 80-III/96

C.F. 13.7.50
R. 1806-PBR/03

000000

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

==

निगरानी क्रमांक- सन् 1996

कोल — रामसिंह तनय सरदार सिंह, निवासी ग्राम सुक्कनपुरा
तह0 व बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0---- आवेदक

विरुद्ध

1. धर्मपाल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह नि0 टीकमगढ़,
2. रघुबीर सिंह तनय अर्जुन सिंह ठाकुर
3. पृथ्वी सिंह तनय अर्जुन सिंह ठाकुर,
4. राजेन्द्र सिंह तनय प्रतिपाल सिंह,
5. महेन्द्र सिंह तनय प्रतिपाल सिंह,
6. अरविन्द सिंह तनय पंचम सिंह ठाकुर समस्त निवासी
गण ग्राम बाँड़ा तह0 व जि0 छतरपुर म0प्र0---- अनावेदकगण

क्रमांक 117-III
श्री अ0 उ0 प्रस्तुत 23.9.96
अभिभाषक ... द्वारा ... को प्रस्तुत
23.9.96
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

Ex parte
28-12-05

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू रा0 संहिता के
निगरानी विरुद्ध आदेश अपील क्र0 592-अ/6
वर्ष 93-94, आदेश दिनांक 24.6.96,

मान्यवर महोदय,

आवेदक निम्न लिखित तथ्यों व आधारों पर यह निगरानी सादर प्रस्तुत करता है :-

23/9/96

निगरानी के तथ्य -

================

विवादित भूमि खसरा सं0 64 लगायत 69, 239.248, 254 कुल क्र. के रकबा 5.199 हे0 भूमि स्थित ग्राम सुक्कनपुरा पर नामान्तरण हेतु पटवारी द्वारा कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में मूल तहसील न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 ने बसीयत के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की तथा आवेदक द्वारा पंचनामा दिनांक 17.12.71 प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिप्रार्थी क्रमांक एक ने बसीयत नामा के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की जो विद्वान नायब तहसीलदार बल्देवगढ़ ने विवादित भूमि का दाखिल खारिज प्रतिप्रार्थी क्र0 1 के पक्ष में पारित कर दिया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1806–पीबीआर/2003

रामसिंह विरूद्ध धर्मपाल सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों अभिभाष आदि के ह
28 –02–19 28/2/2019	आवेदक अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया। अनावेदक को कई बार सूचना देने के उपरांत कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 592/अ–6/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 24–6–1996 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है कि नामांतरण प्रकरण में तहसीलदार ने विधिवत प्रकिया अपनाकर आदेश पारित किया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी उचित माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। आवेदक ने इस निगरानी में ऐसा कोई नये तथ्य पेश नहीं किये हैं जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। 4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन	

होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–1996 स्थिर रखा जाता है।

उभयपक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आर.के. जैन) 28/02/2019
सदस्य